

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-3789.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख, दर्शाये अनुसार कुटुम्ब न्यायालयों में प्रधान/अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:—

क्र.	नाम एवं पद	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री बी. एल. झा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर.
2.	श्रीमति सुरभि मिश्रा, तृतीय अपर जिला, न्यायाधीश, देवास.	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर.
3.	श्री पवन कुमार शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश, लहार (भिंड).	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शिवपुरी/ लिंक श्योपुर.
4.	श्री उमेश कुमार गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश, नरसिंहगढ़	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट.
5.	श्री एन. पी. सिंह रजिस्ट्रार (J-III) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

पंजी क्र. 3597-इक्कीस-ब(दो).—मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा निर्देश देता है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 2 के खण्ड (26) में तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(2000 का 21) की धारा 2 के खण्ड (द) में यथा परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक रूप में न्यायालय फीस, वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीयन) की इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग पद्धति "सम्पदा" के माध्यम से "ई-स्टाम्पिंग" के द्वारा या वित्त विभाग तथा यथास्थिति उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के एकीकृत साफ्टवेयर के माध्यम से साइबर कोषालय को फीस के इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण द्वारा, वसूल की जा सकेगी.

F. No. 3597-XXI—B(2).—In exercise of the powers conferred by Section 26 of the Court Fees Act, 1870 (No. VII of 1870), as applicable to the State of Madhya Pradesh, the State Government, being satisfied that it is necessary to do so in public interest and in concurrence with the High Court of Madhya Pradesh, hereby directs that the realization of Court fee in electronic form as defined in clause (26) of Section 2 of Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) and clause (r) of Section 2 of Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), may be accomplished by means of "e-stamping" through Commercial Tax (Registration Department's Electronic Stamping Systems "Sampada" or by electronic transfer of fees to Cyber Treasury through the integrated software of the Finance Department and High Court or District Court as the case may be.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-10-1-2016-बी-ग्यारह.—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि बेकारी का निवारण करने तथा बेकारी से राहत प्रदान करने और संबंधित उपक्रम में कार्यरत श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा करने के उपाय के तौर पर औद्योगिक कम्पनी अर्थात् मेसर्स नियो कार्प इंटरनेशनल लिमिटेड, पीधमपुर जिला धार (मध्यप्रदेश) को चालू रखने के समर्थ बनाने की दृष्टि से उक्त औद्योगिक कम्पनी को "सहायता उपक्रम" घोषित करना लोकहित में तथा श्रमिकों के हित में आवश्यक तथा समीचीन है.

(2) अतएव मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1978 (क्रमांक-32 सन् 1978) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा द्वारा औद्योगिक